विचार बिन्दु

आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। –भगवत गीता

पर्व ईद-उल-अज़हा को मनाने के लिये जानवरों (बकरे) की कुर्बानी देने के स्थान पर हम सब एक राय से उसके विकल्प पर क्यों न विचार करें?

हमारे देश का संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिये दृढ़ संकल्प होने का आव्हान करता है।

संविधान ने हमें मूल अधिकार दिये और संविधान के अनुच्छेद 51क में घोषणा की कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के कुछ मूल कर्त्तव्य होंगे जो संक्षेप में इस प्रकार है:-

"वह संविधान की पालना करे, भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे, वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति करूणा भाव रखे, हिंसा से दूर रहे"।

संविधान के अनुच्छेद 48क में राज्य को निर्देश दिया है कि वह वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48क की व्याख्या करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोदावर्मन थिरूमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य; एआईआर 2012 एस.सी 1254 के निर्णय में स्पष्ट किया कि जीने के अधिकार में अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन यापन के लिये स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी सम्मिलित है।

भारत में हिन्दू धर्म के मंदिरों में पशुबलि दी जाती थी। टोंक में ऊँटों की बलि होती थी और देवी मां के मंदिरों में भैंसों की बलि दी जाती थी।

क्योंकि संसार की बडी आबादी मांसाहारी है, अत: पशुशालाओं को कुछ पशुओं को कत्ल करने की अनुमति दी गई है; किन्तु Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत् कई प्रतिबंध निर्धारित किये हैं और अपेक्षा की है कि पशुओं को कष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मांस के लिये किये जाने वाले पशु को केवल पशुशालाओं में ही काटा जा सकता है।

संविधान प्राणी मात्र के प्रति करूणा का भाव और हिंसा से दूर रहने का निर्देशन देता है, किन्तु ईश्वर की कृपा हेतु पशुबलि/कुर्बानी को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के औचित्य को स्वीकार नहीं करता; इसके विपरीत अनुच्छेद 51क(ज) में नागरिकों का यह कर्त्तव्य निर्धारित करता है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत झील, वन, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करेंगे और सम्वर्धन करेंगे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखेंगे। प्राणी में सभी प्रकार के जानवर अर्थात् बकरे आदि भी आते हैं।

कम्बोडिया के लोग पहाड़ों में भी आत्मा का वास होने की बात करते हैं। हम नदियों को देवी मां के रूप में देखते हैं और उनमें भी मानवीय स्पन्दन जैसी अनुभूति होती है मानते हैं। इस विचारधारा को कुछ उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णय में सही माना है।

देश के 29 राज्यों में से 20 राज्यों में गायों तथा दुधारू जानवरों व बोझ ढोने वाले पशुओं के वध को अमान्य माना है और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48 व 48क व 51क के आधार पर इन प्रावधानों को प्रवर्तनीय माना है। गो सेवा संघ के केस में यहां तक कह दिया है कि पशु वध के निषेध पर इस बात का कोई असर नहीं होगा कि वे पशु कालान्तर में बोझा ढोने व दूध देने के योग्य नहीं रहे। देश के The Wild Life (Protection) Act, 1972 ने जंगली जानवरों को अभयदान दिया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा मय जीवन जीने का अधिकार देता है और जीने का अधिकार आधारभूत व्यक्ति का Human Right (मानव अधिकार) है। अनुच्छेद 21 में शब्द स्पमि की व्याख्या करते हुये इसके विस्तृत रूप में Animal Life (पशु जीवन) को भी शामिल किया गया है। मूल कर्त्तव्यों में भी प्राणी मात्र के प्रति करूणा भाव रखने का उल्लेख है। इसी बात को इशोपनिषध में सभी Species के प्रति समान भाव रखने पर जोर दिया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA Act) का उद्देश्य भी पशुओं के प्रति करूणा भाव और उनके जीवन की सुरक्षा पर जोर दिया है। कुरान में अल्लाह को Most Gracious, Most Merciful विशेषण से सम्बोधन दिया है।

यदि हम Universal Declaration of Animal Welfare (DWAW) जो एक अभियान है पर विचार करें तो पायेंगे कि World Society for the Protection of Animals Welfare इसका समर्थन करते हैं, भारत भी एक सहयोग देश है। World Health Organisation of Animal Health (OIE) जिसका भारत सदस्य है, वह WTO का एक अभिन्न अंग है, जिसके 178 सदस्य देश हैं जिनमें भारत एक देश है। यह प्रक्रिया इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संधि का दर्जा देते हैं, जिसका निर्देश सदस्यों के लिये बाधकारी है। OIE ने 5 अन्तर्राष्ट्रीय निर्देश जानवारों की स्वतंत्रता व पीड़ा विहीन जीवन के लिये स्वीकार किये है। ये निर्देशन PCA Act की धारा 3 से 11 में मिलते हैं ये उसी प्रकार की जानवरों के अधिकार हैं, जो मानव अधिकार के रूप में संविधान के चेप्टर-III में है। पशुओं के इन अधिकारों को वही मान्यता है जो चेप्टर-III ने संविधान में मिलती है। सरकार भी इन्हें मानने को बाध्य है। ये अन्तर्राष्ट्रीय संधि की तरह देश की अदालतों में Enforceable हैं।

ईदगाह में यशस्वी शहर काजी खालिद उस्मानी जी नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों की मौजूदगी में गत शनिवार को पर्व पर सबको बधाई दी है। उन्होंने लोगों को नसीयत दी कि पर्व के समय दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें और कुर्बानी के लिये गंदगी न हो इस पर ध्यान दें। खालों की उचित व्यवस्था करें। इस पर्व पर घर आने वाले दूसरे धर्म के मेहमानों को मिठाई, मिल्क सेक, सेवई की व्यवस्था की जाती है।

PCA Act की धारा 28 धार्मिक प्रथाओं के लिये अपवाद है अत: सुप्रीम कोर्ट ने पशुबलि (कुर्बानी) को एक सीमा तक धार्मिक प्रथा मानकर PCA Act में अपवाद मानते हुये Closed एवं प्राइवेट क्षेत्र में स्वीकृति पशुबलि की दी है; किन्तु इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि क्या ईद-उल-अज़हा पर्व पर कुर्बानी देना मुस्लिम धर्म की एक Essential Religious प्रेक्टिस है तथा क्या उक्त प्रथा को निषेध किये जाने से संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का Violation तो नहीं होगा, क्योंकि हमें उक्त अनुच्छेदों को संविधान के अनुच्छेद 21, 48, 48क, 51क के संदर्भ में देखना होगा। हमें PCA एक्ट की धारा 11 व 28 की परीक्षा उक्त अनुच्छेदों की पृष्ठभूमि में करनी होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय संधि की पालना करना देश का कर्त्तव्य है। धारा 28 का उद्देश्य है कि पशु की बलि (कुर्बानी) करना अपराध नहीं है, यदि पशुबलि धर्म सम्मत हो यानी AIR 195 SC 282 के निर्णय के अनुसार बकरे की बलि धर्म का अभिन्न अंग हो और उसका सम्बन्ध Doctrine of Religion से हो। बकरे को मारना इस प्रकार Essential Religious प्रेक्टिस नहीं है। इन बिन्दुओं पर सुप्रीम कोर्ट में सम्भवत: कभी बहस ही नहीं हुई। अत: PCAAct की धारा अवैध और Ultra vires है।

ईद-उल-अज़हा पर्व के रूप में उस घटना की याद में मनाया जाता है जब हज़रत अब्राहिम ने Sacrifice किया था। चूंकि अब्राहिम ने अल्लाह की Command की पालना की थी अब्राहिम ने अल्लाह की आज्ञा में अपने पुत्र की कुर्बानी स्वीकार दी थी। अल्लाह ने हस्तक्षेप किया और अपने Angel जिब्राइल से अब्राहिम को सूचना भेजी कि उसका बलिदान पहले ही स्वीकार हो चुका है अत: उसे Reward दिया गया। कुरान (37:100:111) में अल्लाह ने Ordain किया है, "Those who do good shall be rewarded", बकरे की कुर्बानी करना अच्छा काम नहीं कहा जा सकता। ईद-उल-अज़हा तो बकरे की कुर्बानी देकर मनाया जाता है, जबकि अब्राहिम ने अल्लाह की Comman् को माना था उस पर अमल नहीं हुआ था। बकरे का गोश्त (पकाकर) परिवारजन, पडोसी व दोस्त को उल्लास के साथ परोसा जाता है।

इस विषय को समझने के लिये हमें संविधान The Prevention of Cruelty Act, 1960; Wild Life (Protection) Act, 1972; States द्वारा बनाये गये The Prohibition of Bird and Animal Sacrifice Act, Local Municipal Acts, Local Panchayat Acts, International Covenants, संविधान की ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूची। हिन्दुओं ने समय की पुकार को स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस के प्रवचनों द्वारा पशुबलि के निषेध के महत्व को समझा। यह क्रूर प्रथा कई राज्यों में कानून द्वारा निषेध हो चुकी है।

ईदगाह में यशस्वी शहर काजी खालिद उस्मानी जी नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों की मौजूदगी में गत शनिवार को पर्व पर सबको बधाई दी है। उन्होंने लोगों को नसीयत दी कि पर्व के समय दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें और कुर्बानी के लिये गंदगी न हो इस पर ध्यान दें। खालों की उचित व्यवस्था करें। इस पर्व पर घर आने वाले दूसरे धर्म के मेहमानों को मिठाई, मिल्क सेक, सेवई की व्यवस्था की जाती है।

देश के चीफ काजी जब इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं तो नि:सन्देह मुझे उम्मीद है कि हम सब ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिलकर प्रयास करें तो कुर्बानी का कोई विकल्प निकाल सकते हैं। जहां जहां भैंसों की बलि बंद हुई है वहां वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मंदिरों में कुकुम्बर काटा जाता है कहीं नारियल फौडे जाते हैं, आदि जिन्हें समाज के सभी लोगों को व पिछडे, गरीबों आदि में वितरित किया जाता है। त्यागना है तो अपनी बुराईयों को छोडें। आइये मिलजुल भाईचारे के वातावरण में जानवरों (बकरे-भेडों) की कुर्बानी का शाकाहारी विकल्प तलाश करें।

विश्व के दो व्यक्तियों ने बीड़ा उठाया है कि शाकाहारी बनो और विश्व को बचाओ। एक है जॉन रोबिन्स की बहुचर्चित पुस्तक **The Food Revolution: How Your Diet Can Help Save Your Life and Our World" और दूसरी है दी सुप्रीम मास्टर चिंगहाई की पुस्तक **From Crisis to Peace: The Organic Vegan Way Is The Answer** दोनों ने अकाटय प्रमाणों से प्रमाणित किया है कि शाकाहारी बनकर धरती को विनाश होने से बचाया जा सकता है।

सबको सन्मति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीकों से वंदे गंगा अभियान को सफलता मिलेगी

अंजलिका पंवार

रेतीले राजस्थान की तपती ज़मीन पानी की हर बूँद का महत्व समझती है। यही कारण है कि हर राजस्थानी पानी बचाने को सबसे ज्यादा महत्व देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 5 जून से 20 जून तक चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान में जल संरक्षण की इसी अलख को जगा रहा है। दरअसल राजस्थान में यह पंक्तियाँ हर किसी की ज़ुबान पर रहती हैं-

''जळ थोड़ो नेह घणो''

राजस्थान की शुष्क धरा पर गिरती पानी की एक-एक बूंद सभी प्रदेशवासियों के जीवन में वही स्थान रखती है, जितना कि हरे-भरे वृक्षों की हर डाली पर जीवन की सांसें। जल संरक्षण की प्राचीन परंपराएं वर्तमान परिस्थितियों में भी कारगर हैं। भजनलाल सरकार इन्हें संरक्षित और पोषित करने का प्रयास कर रही है। जल संरक्षण की इन्हीं परम्परागत तकनीकों से राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में जल संरक्षण सहज बन रहा है। जानते हैं इन पारंपरिक तकनीकों के बारे में-

जोहड़ :- जोहड़ मिट्टी के छोटे बांध होते हैं जो वर्षा के पानी को संचित करते हैं और उसे जमीन में रिसने देते हैं, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। जोहड़ कुओं के जल स्तर को बनाए रखते हैं जिससे पीने और खेती के लिए बड़ी मदद मिलती है। इनके निर्माण में सामुदायिक सहयोग शामिल होता है जिससे स्थानीय निवासियों को जल आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

बावड़ी :-बावड़ी गहरे, बहु-मंजिला कुएँ होते हैं जिनमें पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बावड़ियाँ न केवल पीने के पानी और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि ये सामाजिक मिलन स्थल के रूप में भी कार्य करती हैं। इनके निर्माण में कला और स्थापत्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जैसे कि दौसा की आभानेरी, जोधपुर की तोरी और जैसलमेर की पटवा बावड़ी स्थापत्य कला की बेजोड़ प्रस्तुति हैं। आज के दौर में प्राचीन समय में निर्मित बावड़ियां पर्यटन का भी एक अच्छा स्त्रोत साबित हो रही हैं। इसको इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आभानेरी बावड़ी दौसा जिले का सबसे महत्वपूर्ण ट्ययूरिस्ट स्पॉट है।

टांका :- टांका भूमिगत टैंक या जलाशय होते है जो छत और आँगन से वर्षा जल को एकत्रित और संचित करता हैं। अमूमन टांके घरों और स्कूलों में बनाए जाते हैं ताकि पीने के पानी का स्थायी स्त्रोत मिल सके। टांका का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है और यह जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। टांका के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण और उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करने में मदद करता है। राजस्थान के लगभग सभी राजकीय विद्यालयों में टांके देखने को मिल जाते हैं।

खड़ीन :- खड़ीन एक पारंपरिक रन ऑफ खेती प्रणाली है, जिसमें खेत के निचले किनारे पर एक लंबा मिट्टी का बांध बनाया जाता है ताकि वर्षा के समय बहने वाले पानी को एकत्रित किया जा सके। जैसलमेर क्षेत्र में खड़ीन प्रणाली काफी प्रचलित है और यह कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकत्रित पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई और भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है।

नाड़ी :- नाड़ी छोटे से मध्यम आकार के तालाब होते हैं जो वर्षा जल को घरेलू और पशु धन के उपयोग के लिए संचित करते हैं। सरकार की अनूठी पहल से नाड़ी निर्माण हेतु मनरेगा फंड को कन्वर्ज किया जा रहा है जिससे अब बजट की समस्या नहीं रही है। नाड़ी सूखे या अनुमान से कम बरसात के समय में बहुत उपयोगी होती हैं और अक्सर सामुदायिक रूप से प्रबंधित की जाती हैं।

कुंड :- कुंड भूमिगत संरचनाएँ होती हैं जिनके चारों ओर एक कटोरी के आकार का कैचमेंट एरिया होता है जो वर्षा जल को संचित करता है। थार मरुस्थल में कुंड आमतौर पर घरेलू पेयजल के लिए एक महत्वपूर्ण स्त्रोत प्रदान करते हैं।

राजस्थान के निवासियों की प्रतिभा और अनुकूलता का प्रमाण इन पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों में झलकता है। आज के आधुनिक युग में भी यही प्राचीन तकनीकें जल संरक्षण के इरादों को मजबूती प्रदान करती हैं। ये तकनीकें सीमित जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करती हैं और भारत के सबसे शुष्क राज्य में जीवन निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामुदायिक सहयोग और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके हम जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समाज की इसी ज्ञान विरासत को सरकार के सहयोग से नए आयाम देकर राज्य के प्रत्येक गांव, ढाणी को जल आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास है।

लेखिका-
सुश्री अंजलिका पंवार,
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,
शोध एवं संदर्भ शाखा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

आओ जरा कश्मीर समस्या को समझने का प्रयास करें - भाग-2

महावीर सिंह

इस लेख के पूर्व भाग में हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट और उसके तहत धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के बारे में संक्षेप में जाना। अधिसंख्य देशी रियासतों में भारत अथवा पाकिस्तान में विलय के विकल्प को चुना। उसके कुछ तो भौगोलिक कारण थे और ज्यादा महत्व पूर्ण देशी रियासतों के राजाओं की यह समझ थी कि बदली हुई परिस्थितियों में उनका स्वतंत्र अस्तित्व पूर्णत: अव्यवहारिक व असंभव है। भारत की अंतिम सरकार ने देशी राजाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके विलय को सौहार्द्रपूर्ण बना दिया। हमने यह भी देखा कि जूनागढ़ का भारत विलय कठिन परिस्थितियों में हुआ जहां वहां के नवाब में पाकिस्तान विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे किंतु जनता में उसे जनमत संग्रह के आधार पर अस्वीकार कर दिया।

कश्मीर की स्थिति पर भी विचार किया गया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह अनिश्चय की स्थित में थे। वस्तुत वे अपने राज्य को न भारत और न पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। कश्मीर की अधिसंख्य जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी थी और राजा हिन्दू धर्म मानने वाला था। कश्मीर की सीमा आजाद भारत से और पाकिस्तान से मिलती थी। कश्मीर का वह भाग जिसे अब हम पाक ओक्यूपाइड कश्मीर कहते है वहां की अधिसंख्य जनसंख्या मोटे तौर पर इस्लाम को मानने वाले कबाइली (ट्राइबल) लोगों की थी। पाकिस्तान को, द्वि राष्ट्र सिद्धांत---टू नेशन थ्योरी--- के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं था किंतु वह सीधे-सीधे कश्मीर की स्वतंत्रता पर आक्रमण कर्ता भी नहीं दिखना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान में कबाइलियों को हथियारबंद किया, प्रशिक्षित किया और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में कश्मीर घाटी व अन्य भागों में प्रवेश करा दिया। राजा हरि सिंह को अपने अस्तित्व का खतरा सामने दिख गया, तब उन्होंने भारत सरकार से सैन्य मदद की गुहार की। भारत की अंतरिम सरकार ने स्पष्ट किया कि बिना भारत में विलय के भारत द्वारा सैन्य मदद दिया जाना कानूनी व व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं होगा, तब जाकर राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

इसलिए कश्मीर की आज जो उलझी स्थिति है उसके पहले दो कारण है:- पाकिस्तान का कश्मीर पर कबाइलियों की आड़ में छद्म आक्रमण, राजा हरि सिंह का भारत में विलय पर अत्यंत विलंब से लिया निर्णय हैं। विलंब से लिए निर्णय के कारण हथियारबंद कबाइली श्रीनगर के अति समीप तक आ गए जहां से भारतीय सेना में उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। उस समय तक राजा हरि सिंह के आधिपत्य वाले कश्मीर राज्य का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। अब एक प्रश्न जो बार बार मीडिया में उठाया जाता है वह है कि भारत में युद्धविराम क्यों किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों गया? क्यों नहीं, जैसा कुछेक नेता कहते है, तीन-चार दिन युद्ध जारी रखकर पूरा कश्मीर स्वतंत्र करवाया???

उस समय की भारत और विश्व की परिस्थितियों को बिना ध्यान में रखे, 60, 70 साल बाद इस प्रकार के प्रश्न करना बड़ा आसान है। भारत को आजाद हुए कुछ ही महीने हुए थे। द्वितीय युद्ध के बाद और ब्रिटिश शासन की भारत के प्रति अहित कारी आर्थिक नीतियों के कारण शासन के पास खाली राजकोष का था। देश अधिकांश वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि नव स्वतंत्र भारत की विश्व समुदाय में क्या हैसियत थी? कितने देश, कितने समय तक हमें सैन्य व आर्थिक सहायता दे सकते थे? 1947 के 5,7 साल पहले के और फिर उसके भारत में विलय के बाद के कश्मीर के घटनाक्रमों को समझने के लिए शेख अब्दुल्ला के किरदार व उनकी भूमिका को भी समझना पड़ेगा। यह निर्विवाद है कि कश्मीर के भारत विलय में शेख अब्दुल्ला की सकारात्मक भूमिका रही था।

विलय पत्र के साथ ही महाराजा हरि सिंह में लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा था कि वे अंतरिम सरकार बनाएंगे जो कबाइली समस्या के कारण उत्पन्न आपातकाल से निपटने में उनकी सहायता करेगी। शेख अब्दुल्ला को आपातकाल में प्रधानमंत्री की बनाने की बात भी लिखी। इस के बाद, राजा द्वारा आमंत्रण के बाद शेख अब्दुल्ला में 30 अक्टूबर 1947 को अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभाला। कश्मीर के भारत में विलय को भारत की सरकार द्वारा स्वीकार करने के पश्चात माउंटबेटन द्वारा पत्र लिखा गया था कि उनकी सरकार के मतानुसार, जहां कहीं भी विलय का मुद्दा विवादित हो उसका फैसला लोगों की इच्छा के अनुरूप किया जाना चाहिए। जब भी जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी, हमलावर बाहर निकाल दिए जाएंगे, तब विलय के प्रश्न पर लोगों की राय ली जाएगी।

शेख अब्दुल्ला पहले जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता थे किंतु फिर उन्होंने सभी धर्म-जात वालों को इस से जोड़ा और इसका नया नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। यह दल जनता के अधिकारों, समस्याओं के लिए राजा के विरुद्ध भी आंदोलन रत था।

भारत की आजादी के संघर्ष से जुड़े बड़े नेताओं के साथ भी संपर्क में रहती थी। 1947 आते-आते शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता हो गए। कबाइली आक्रमण के कारण छिन्न-भिन्न हुई, प्रशासनिक व कानून व्यवस्था को बहल करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में सक्रिय भूमिका अदा की। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर महाराजा हरि सिंह ने इन्हें अंतरिम सरकार गठन करने और प्रधान मंत्री बनाने का आमंत्रण दिया। अंतरिम प्रधान मंत्री के बाद शेख अब्दुल्ला 1951 में जम्मू कश्मीर के पहले निर्वाचित प्रधान मंत्री बने। भारत की सरकार तत्समय नव स्वतंत्र देश की विभिन्न आंतरिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर और विश्व के देशों में नए भारत की एक लोकतांत्रिक, शांतिप्रिय व सैन्य बल के बजाए वार्ताओं के जरिए विवादों के समाधान के सिद्धांत को समर्पित राष्ट्र की छवि प्रस्तुत करने के लिए यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले गई और संयुक्त में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया।

शेख अब्दुल्ला ने यूएनोकी सुरक्षा परिषद में 5 फरवरी 1948 को भारत का पक्ष रखते हुए कहा था कि कबाइली हमलावरों में हजारों लोगों का नरसंहार किया, उनकी संपत्तियां लूटी।हिंदू और सिख थे, मुसलमान भी थे, हजारों लड़कियों का अपहरण किया। मरे गए लोगों में अधिकांश हिन्दू व सिख थे। मुसलमान भी थे। सैन्य, पुलिस प्रशासन विफल हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजारों कार्यकर्ताओं में प्रशासन संभाला। लेकिन कालांतर में शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार में मतभेद उभरे। भारत सरकार की सूचनाओं के अनुसार शेख विद्रोहियों अर्थात पाक समर्थित तत्वों से संपर्क बढ़ाने लगे। भारत सरकार ने विद्रोहियों समर्थन देने के आरोप लगा कर उन्हें जेल में डाल दिया। उस समय विश्व अमरीका और रूस के नेतृत्व में दो अलग-अलग खेमों में बंटा था। 1954 में, अमरीका ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की सुरक्षा के लिए एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम था सीटो। पाकिस्तान को इसमें शामिल किया और अमरीका ने उसे भरपूर सैन्य व आर्थिक मदद दी।

इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र के झंडाबरदार बने शक्तिसंपन्न पश्चिमी देशों को अन्य देशों में तानाशाह व सैन्य शासकों के साथ गलबहियां करने से कभी कोई परहेज नहीं रही बशर्ते वे उनके इशारों के अनुसार चलते रहे। भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू में और मिश्र, इंडोनेशिया आदि कई देशों के साथ, इन दिनों सैन्य गुटों से अलग रहना उचित समझा (नॉन अलाइनइड नेशंस)। इस आंदोलन के जरिए नवस्वतंत्र भारत में दुनिया में अपनी अलग प्रजातांत्रिक, विकासोन्मुख, प्रजाहितैषी देश वाली पहचान बनाई। जहां बहुत से नवस्वतंत्र देश राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो रहे थे भारत में लोकतंत्र जड़ें पकड़ रहा था। जरा, पाकिस्तान में इसी अवधि में क्या हो रहा था, इस पर विचार करें। 1947 से 1958 के बीच अल्पावधियों के लिए एक के बाद एक 7 प्रधान मंत्री हुए अर्थात पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर हो रहा था और अंततोगत्वा 1958 में वहां की सेना ने शासन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से पाकिस्तान में या तो सैन्य शासन रहा अथवा सामान्यत सेना के पूर्ण नियंत्रण वाली कमजोर, नुमाइशी चुनी हुई सरकारें रही। 1958-71, 1977-88, 1999-2008 तक तो सीधे-सीधे सैन्य तानाशाहों का शासन रहा। इन्हीं अवधियों में 1965, 1971, 1998 में पाकिस्तान में भारत पर सैन्य आक्रमण किए। पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध का तो कारण कश्मीर में आंतरिक असंतोष भड़काना और विद्रोहियों को हर तरह से सहायता देना ही था। इसका कोड नाम आपरेशान जिब्राल्टर रखा गया था।

यहां यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि 1965 आते-आते, इस समस्या के बाबत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जन्मतसंग्रह वाला प्रस्ताव भी महत्वहीन हो गया था। पाकिस्तान पीओके से हटा नहीं, जो जन्मतसंग्रह कराने की प्रमुख पूर्व शर्त थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा।

1965 के युद्ध के बाद रूस की पहल पर युद्ध विराम हुआ और फिर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ जिसकी आजकल खूब चर्चा होती है। भारत की दृष्टि से ताशकंत समझौते की प्रमुख बात यह थी कि---भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र नियमों का पालन करते हुए, अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं 5 अगस्त 1965 की स्थिति पर चली जाएंगी--। जन्मतसंग्रह पर यह पूर्ण विराम था।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध पूर्णत: पाकिस्तानी सेना द्वारा चुनाव परिणामों को नकारने और बांग्लादेशियों पर अत्याचारों के कारण भारत में लाखों शरणार्थियों के आने और विश्व समुदाय के शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा इन अत्याचारों की अनदेखी का परिणाम था। इन सब अत्याचारों के बावजूद अमरीका, हर प्रकार से, पाकिस्तानी सैन्य शासन समर्थक बना रहा। इस युद्धों की परिणीति 1971 के शिमला समझौते से हुई। इस में दोनों देश पुन: संकल्पबद्ध हुए की---दोनों देश विभिन्न मुद्दों पर अपने मतभेदों को शंतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे व उपमहाद्वीप में स्थाई शांति व सहयोग के लिए काम करेंगे। लोक कल्याण पर अपनी ऊर्जा लगाएंगे। कश्मीर के संदर्भ में, 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को दोनों देशों में नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी और इसे अपरिवर्तनीय/बाध्यकारी माना।दोनों देश अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे--।

वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में चल रही डिबेट्स में ताशकंत और शिमला समझौतो पर कई प्रकार की सही गलत बातें राजनीतिक दलों के लोग करते रहते है। इस प्रकार की बातें अधिकांशत: तत्समय के तथ्यों व देश तथा वैश्विक परिस्थितियों को बिना ध्यान में रखे, केवल जनता का भ्रमित करने और अपने-अपने समर्थकों को बनाए रखने के लिए की जाती है।

-महावीर सिंह, पूर्व आईएस

राशिफल शुक्रवार 13 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:21 तक, शुक्ल योग दिन 1:48 तक, गर करण दिन 3:19 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से रात्रि 11:21 तक है। भद्रा रात्रि 3:33 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:19 तक, लाभ अमृत 7:19 से 10:44 तक, शुभ 12:27 से 2:09 तक, चर 5:34 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:31, सूर्यास्त 7:17

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य से संबंधित यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कन्या
घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब होगा।

मिथुन
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लि